सत्यमेव जयते

संख्या– — /जी0एस0(शिक्षा)/**A4-160**/2014

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक :** 16 JUN 2022 ~~मई,~~ **2022**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–1031 व 1032, दिनांक 02.09.2021 तथा पत्र संख्या–2747 व 2748, दिनांक 30.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू0जी0सी0 विनियम के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, भगवानपुर, रूड़की (हरिद्वार)	1. एल0एल0बी0 2. बी0ए0–एल0एल0बी0 3. एल0एल0एम0	180 180 75	2020–21 एवं 2021–22

- शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। इसका संज्ञान रखने के साथ–साथ विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे।

3. अतः अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये तथा कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या–919 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-160/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।